



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर
रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1504/2006

याचिकाकर्ता:

कंजीरा परवीन, पिता अमीनउद्दीन अहमद, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम आरा बलरामपुर, थाना घोलपुर, तहसील राजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.) एवं अन्य

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 09.04.2008 को सूचीबद्ध करें।



सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर
रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1504/2006

याचिकाकर्ता:

कंजीरा परवीन, पिता अमीनउद्दीन अहमद, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम आरा बलरामपुर, थाना घोलपुर, तहसील राजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

- 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
- 2) कलेक्टर, अम्बिकापुर, सरगुजा, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
- 3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
- 4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 5) खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड राजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
- 6) ग्राम पंचायत जिगड़ी, द्वारा सरपंच, विकासखण्ड राजपुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)। 7) एस.डी.ओ. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
- 8) नसरीन बानो, पति ताजुद्दीन, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम बासेन, तहसील राजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका)

एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति :

श्री वैभव ए. गोवर्धन, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री आलोक बखशी, शासकीय अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1, 2, 5 एवं 7/राज्य की ओर से।



आदेश

(दिनांक 09.04.2008 को पारित)

इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, सरगुजा द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/ए-89/2004-2005 (नसरीन बानो विरुद्ध ग्राम पंचायत, जिगड़ी एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.02.2006 (संलग्नक पी/18) की विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के हस्तक्षेपकर्ता/पक्षकार बनाने के आवेदन को यह अभिनिर्धारित करते हुए निरस्त कर दिया गया था कि चूंकि प्रकरण में संपत्ति या भूमि विवाद सम्मिलित नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को हस्तक्षेपकर्ता के रूप में पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था।

2) संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन दिनांक 03.10.2003 के अनुसार में जनपद पंचायत राजपुर, ग्राम पंचायत जिगड़ी, राजपुर में उर्दू संविदा शिक्षक, श्रेणी-III (महिला) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया था और दिनांक 17.02.2004 (संलग्नक पी-1) को आयोजित साक्षात्कार में भाग लिया था। चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2001 के उपबंधों के अनुसार आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तथ्य के बावजूद कि उत्तरवादी क्रमांक 8 ने साक्षात्कार सहित चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, उत्तरवादी क्रमांक 8 को दिनांक 05.08.2004 को उर्दू संविदा शिक्षक (संलग्नक पी/9) के रूप में नियुक्त किया गया था। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने



मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर के समक्ष शिकायत की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर ने दिनांक 08.09.2004 (संलग्नक पी/10) को उत्तरवादी क्रमांक 8 की नियुक्ति निरस्त कर दी।

3) व्यथित होकर, उत्तरवादी क्रमांक 8 ने अनुविभागीय अधिकारी, अम्बिकापुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, अम्बिकापुर ने दिनांक 26.05.2005 (संलग्नक पी/12) को यह निर्धारित करते हुए अपील खारिज कर दी कि उत्तरवादी क्रमांक 8 की नियुक्ति विधि के अनुसार नहीं थी। इस प्रकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2004 (संलग्नक पी/10) की पुष्टि की गई। पुनः व्यथित होकर, उत्तरवादी क्रमांक 8 ने दिनांक 14.07.2005 (संलग्नक पी/13) को कलेक्टर, अम्बिकापुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उत्तरवादी क्रमांक 8 ने अपील में अनुविभागीय अधिकारी, अम्बिकापुर के साथ-साथ कलेक्टर, अम्बिकापुर के समक्ष भी याचिकाकर्ता को आवश्यक पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा। तदनुसार याचिकाकर्ता ने विवाद का आवश्यक पक्षकार होने के नाते मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति हेतु कलेक्टर, अम्बिकापुर के समक्ष दिनांक 18.07.2005 (संलग्नक पी/16) को एक आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर, अम्बिकापुर ने याचिकाकर्ता के आवेदन को इस अपोषणीय आधार पर निरस्त कर दिया कि विवाद संपत्ति या भूमि से संबंधित नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।



4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव गोवर्धन ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश इस तथ्य पर विचार किए बिना प्रारंभिक स्तर पर पारित किया गया था कि कलेक्टर, अम्बिकापुर द्वारा पारित आदेश से याचिकाकर्ता पर्याप्त रूप से प्रभावित होगी क्योंकि केवल उसने ही चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और उत्तरवादी क्रमांक 8 की नियुक्ति निरस्त होने पर केवल याचिकाकर्ता को ही नियुक्त किया जाना है। याचिकाकर्ता विवाद का एक आवश्यक पक्षकार है। कलेक्टर, अम्बिकापुर को हस्तक्षेप और आवश्यक पक्षकार के रूप में जोड़े जाने के आवेदन पर विचार करना चाहिए था। इस आधार पर आवेदन की अस्वीकृति कि केवल संपत्ति विवाद के मामले में ही याचिकाकर्ता को पक्षकार बनाया जा सकता है या हस्तक्षेप की अनुमति दी जा सकती है, त्रुटिपूर्ण थी। उन सभी मामलों में जहां कोई पक्षकार अधिकरण/न्यायालय के निर्णय से पर्याप्त रूप से प्रभावित होता है, उस पक्षकार को आवश्यक पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

5) राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को आवश्यक पक्षकार के रूप में मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति न देने के कारण विधि में अपोषणीय हैं।

6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है, अभिवचनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है। यह स्पष्ट मामला है जिसमें याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में एक अभ्यर्थी थी और यदि यह पाया जाता है कि चयन



प्रक्रिया में केवल याचिकाकर्ता ने भाग लिया है, तो याचिकाकर्ता कलेक्टर, अम्बिकापुर के निर्णय के अनुसरण में लाभ की हकदार हो सकती है।

7) उदित नारायण सिंह मालपाहारिया विरुद्ध अतिरिक्त सदस्य राजस्व बोर्ड, बिहार एवं अन्य ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 786 के प्रकरण में , सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"(7) उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रारंभ में यह सुनिश्चित करना सुविधाजनक होगा कि कार्यवाही में आवश्यक या उचित पक्षकार कौन हैं। इस विषय पर विधि सुस्थापित है, हमारे लिए सिद्धांत का कथन करना ही पर्याप्त है। एक आवश्यक पक्षकार वह है जिसके बिना कोई आदेश प्रभावी रूप से नहीं दिया जा सकता; एक उचित पक्षकार वह है जिसकी अनुपस्थिति में प्रभावी आदेश दिया जा सकता है लेकिन जिसकी उपस्थिति कार्यवाही में सम्मिलित प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक है।

(12) सारांश यह है कि उत्प्रेषण रिट में न केवल वह अधिकरण या प्राधिकारी जिसका आदेश रद्द करने की मांग की गई है, अपितु वे पक्षकार भी जिनके पक्ष में उक्त आदेश जारी किया गया है, आवश्यक पक्षकार हैं। परंतु यह न्यायालय के विवेक पर है कि वह विवाद में सम्मिलित सभी प्रश्नों को पूर्णतः निराकृत करने के लिए उचित पक्षकारों को या तो स्वप्रेरणा से या रिट के किसी पक्षकार के आवेदन पर या ऐसे उचित पक्षकार की ओर से दायर आवेदन पर पक्षकार बनाए या जोड़े"।

8) के.एच. सिराज विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय एवं अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 395 के प्रकरण में , सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 75 में निम्नानुसार निर्धारित किया था:



"इसलिए, यह अनिवार्य था कि चयन सूची के सभी अभ्यर्थियों को रिट याचिकाओं में पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था अन्यथा वे बिना सुनवाई के प्रभावित होंगे"।

9) के.एम. रश्मि मिश्रा विरुद्ध म.प्र. लोक सेवा आयोग एवं अन्य (2006) 12

एस.सी.सी. 724 के प्रकरण में , सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"15. उपर्युक्त स्थिति में, सभी सत्रह चयनित अभ्यर्थी रिट याचिका में आवश्यक पक्षकार थे। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बड़ी नहीं थी। अपीलार्थी के लिए उन्हें उक्त कार्यवाही में पक्षकार के रूप में जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं थी। रिट याचिका का परिणाम नियुक्त व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता था। इस प्रकार, वे आवश्यक और/या किसी भी स्थिति में उचित पक्षकार थे"।

10) प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक आवश्यक पक्षकार है, याचिकाकर्ता को कलेक्टर, अम्बिकापुर के समक्ष लंबित अपील में पक्षकार बनाया जाएगा। याचिकाकर्ता को पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में जोड़े बिना पारित कोई भी आदेश याचिकाकर्ता को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकता है।

11) तदनुसार, आक्षेपित आदेश दिनांक 20.02.2006 (संलग्नक पी/18) को अपास्त किया जाता है। कलेक्टर, अम्बिकापुर को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में जोड़ने के पश्चात विवाद के न्यायनिर्णयन की कार्यवाही करें।

12) याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।



सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

